

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.) / डीएलबी / 24 / ३७६४

दिनांक: ११-०९-२०२४

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 19.07.2024 द्वारा श्रीमति मधु कंवर हाडा रादस्या वार्ड संख्या 10 को नगर पालिका रावतभाटा के अध्यक्ष पद के कार्यभार हेतु 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये अधिकृत किया गया था।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमति मधु कंवर हाडा सदस्या वार्ड संख्या 10 को नगरपालिका रावतभाटा के अध्यक्ष पद का कार्यभार पूर्व आदेशों की निरंतरता में 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमार पाल गौतम)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.) / डीएलबी / 24 / ३७६५- ३७७६ दिनांक: ११-०९-२०२४
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर/जिला कलक्टर चितौड़गढ़।
- निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
- उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा।
- अधिशासी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा।
- प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
- सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव